[2024] 12 एस. सी. आर 617:2024 आई. एन. एस. सी. 984

भारत संघ और अन्य

बनाम

रोहित नंदन

सिविल अपील सं.2024 का 14394

13 दिसंबर 2024

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा * और मनोज मिश्रा, न्यायमूर्तिगण]

<u>विचार के लिए मुद्दा</u>

अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभ के लिए प्रतिवादी-कर्मचारी के दावे की पात्रता के संबंध में मुद्दा उठा, जब प्रतिवादी को उसके 'तांती' जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया, तो 'तांती' जाति को ओ. बी. सी. की सूची से हटा दिया गया और अनुसूचित जातियों की सूची में पैन/स्वासी जाति के साथ विलय कर दिया गया।

<u>हेडनोट्स</u>

भारत का संविधान-अनुच्छेद 341-अनुसूचित जातियों की सूची-अनुसूचित जातियों की सूची में जाति 'तांती' का जाति 'पान/सावसी' के साथ विलय-अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभ के लिए कर्मचारी के दावे का अधिकार-'तांती' जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत प्रतिवादी-कर्मचारी की नियुक्ति-राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से 'तांती' जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से हटा दिया और इसे अनुसूचित जातियों की सूची में 'पान/स्वासी' जाति के साथ मिला दिया-प्रतिवादी ने 'पान/स्व' के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया सेवा अभिलेख में जाति और आवश्यक परिवर्तन किए गए-इस बीच, प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में पदोन्नति के लिए आवेदन किया, हालाँकि, उसका नाम अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था-न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी के आवेदन को खारिज कर दिया, हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी-शुद्धताः

न्यायालय ने कहा-इस अपील के लंबित रहने के दौरान, इसी मुद्दे पर निर्णय लिया गया था *डॉ. भीम राव अम्बेडकर के मामले* में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अति पिछड़े वर्गों की सूची से 'तांती' को हटाने और अनुसूचित जाति सूची में इसका विलय करने की कवायद खराब, अवैध और अस्थिर है-इसे देखते हुए, प्रतिवादी अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभों का दावा नहीं कर सकता है- *डॉ. भीम राव अंबेडकर* के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, इस मुद्दे को इस प्रकार रखा गया है -इस संबंध में कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण का दावा कायम नहीं रहता है-इसके अलावा, पहले के निर्णय अलग-अलग आधार पर होते हैं, जिसमें लंबे समय से चली आ रही नियुक्तियां एक अवधि तक जारी रहती थीं, जिसके कारण अदालत ने महसूस किया कि न्यायसंगत विचारों पर, उनके रोजगार में बाधा नहीं डालने के लिए-तथ्यों पर, प्रत्यर्थी को दिसंबर 2023 में उक्त पदोन्नति पद पर नियुक्त किया गया था-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में उनके अवैध वर्गीकरण का लाभ, जो उन्हें एक वर्ष से भी कम समय के लिए प्राप्त हुआ था और वह भी उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान-पूर्व के मामलों में उम्मीदवारों की तरह प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई समानता नहीं-आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति के रूप में अवैध प्रमाणन के आधार पर प्रतिवादी को जारी रखने का निर्देश-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया और न्यायाधिकरण के फैसले को बहाल कर दिया गया।[पैरा 8,9,12,13,15,16]

केस लॉ उद्धृत किया गया

डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच बिहार बनाम बिहार राज्य [2024]7 एससीआर 796:2024 आई. एन. एस. सी. 528; के. निर्मला बनाम केनरा बैंक **[2024] 8 एससीआर 868:2024 आई. एन. एस. सी. 634-विशिष्ट**

*महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य [2000] पूरक।5 एससीआर 65.***(2001) 1 एस. सी. सी. 4-संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991।

मुख्य शब्दों की सूची

अनुच्छेद 341 भारत का संविधान; अनुसूचित जातियों की सूची; तांती जाति; पैन/स्वासी जाति; समानता अधिकार क्षेत्र; अनुसूचित जाति श्रेणी का लाभ; 'तांती' जाति प्रमाण पत्र; अनुसूचित जातियों की सूची में 'तांती' जाति का 'पैन/सावसी' जाति के साथ विलय; अत्यंत पिछड़े वर्ग; *भीम राव अंबेडकर का मामला;* समान विचार; अनुसूचित जाति उम्मीदवार के रूप में अवैध वर्गीकरण; अनुसूचित जाति के रूप में अवैध प्रमाणन।

से उत्पन्न हुआ मामला

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार 2023 का 2022 [2024] 12 एस. सी. आर. के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 12096 में पटना में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19-01-2023 से 2024 की सिविल अपील संख्या 14394।

दलों के लिए उपस्थिति

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री आर. बाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमरीश कुमार, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री आकांक्षा कौल, सार्थक करोल, रोहित खरे, पीयूष बेरीवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण।

अनिलेंद्र पांडे, राजीव कुमार रंजन, सुश्री प्रिया कश्यप, नदीम हुसैन, मेसर्स रंजन एंड कंपनी, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश/निर्णय

निर्णय पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, न्यायधीश।

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. भारत सरकार अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अपने दावे को खारिज करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अपने मूल आवेदन को खारिज करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने वाले पटना 1 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के खिलाफ अपील कर रही है। इस हाल के निर्णय के बाद *डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य* बिहार, 2 हमने अपील को स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया है कि प्रतिवादी

तांती जाति से संबंधित ओ. बी. सी. श्रेणी का बना रहेगा और राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.07.2015 के अनुसार उसे अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी को वर्ष 1997 में अन्य पिछड़ी जाति (ओ. बी. सी.) श्रेणी के तहत उनके 'तांती' जाति प्रमाण पत्र के आधार पर डाक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 1 के माध्यम से 'तांती' जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) की सूची से हटा दिया ताकि उक्त समुदाय के सदस्य अनुसूचित जाति (एस. सी.) श्रेणी का लाभ उठाने के लिए इसे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल अखिल/स्वासी जाति के साथ मिला सकें।

5. राजपत्र अधिसूचना के बाद, प्रतिवादी ने जिला मजिस्ट्रेट, पटना के कार्यालय से 29.09.2015 पर पैन/स्वासी जाति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 23.06.2016 को मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, पटना से नए जाति प्रमाण पत्र और उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना के संदर्भ में अपनी सेवा पुस्तिका में अपनी श्रेणी को अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति में बदलने का अनुरोध किया। इस बीच, प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल. डी. सी. ई.) के माध्यम से डाक सेवा समूह 'बी' में पदोन्नति के लिए आवेदन किया, जैसा कि 07.10.2016 को अधिसूचित किया गया है और 18.12.2016 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ। हालाँकि उन्हें दिनांक 16.04.2018 के माध्यम से परीक्षा में सफल घोषित किया गया था, लेकिन उनके नाम को पदोन्नति के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था और उनके परिणाम को अधिसूचना दिनांक 06.09.2018 के माध्यम से आगे के विचार के लिए रोक दिया गया था। इस बीच, पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी क्षेत्र, बिहार के कार्यालय ने 17.08.2018 को उत्तरदाता की सेवा पुस्तिका में अनुसूचित जाति की श्रेणी को बदलने का आदेश दिया।

6. अंत में, डाक विभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से परामर्श करने के बाद, दिनांक 14.02.2019 के माध्यम से आदेश दिया कि प्रतिवादी अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है और परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची से अपना नाम हटा दिया।दिनांक 14.02.2019 के उपरोक्त

आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष OA/050/00289/2019 दायर किया, जिसे 01.04.2022 को खारिज कर दिया गया।

7. न्यायाधिकरण के निर्णय को एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष आक्षेपित आदेश द्वारा 19.01.2023 को इसकी अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय निम्नलिखित आधार पर आगे बढ़ाः

> *"9. ऐसा कोई मामला नहीं है कि राज्य सरकार ने बिना किसी कानून के राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन किया है और किसी विशेष जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है, लेकिन राज्य सरकार ने केवल इस तथ्य के कारण राज्य सूची से सबसे पिछड़ी जातियों में से एक को हटा दिया है कि यह राष्ट्रपति के आदेश में पहले से ही अधिसूचित एक अनुसूचित जाति है और इसलिए, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में परिपत्र जारी किया गया है।*
>
> *10. इसके अलावा, याचिकाकर्ता को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है और इसे चुनौती या रद्द नहीं किया गया है। इसलिए, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित व्यक्ति है।*
>
> *11. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार अनुमति दी जाती है। सी. ए. टी. दिनांक 01.04.2022 का आदेश और प्रत्यर्थी सं.3 द्वारा जारी दिनांक 14.02.2019 का आदेश। रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं।*

8. हमारे समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान और इस न्यायालय द्वारा 25.08.2023 को नोटिस जारी किए जाने के बाद, एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। *डॉ. भीमराव अम्बेडकर* (ऊपर) में इसी प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा 15.07.2024 को विचार किया गया और निर्णय लिया गया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पदों और सेवाओं (अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 में रिक्तियों के बिहार आरक्षण के तहत जारी ई. बी. सी. ('अत्यंत पिछड़ा वर्ग') सूची से 'तांती' को निकालने की कवायद और अनुसूचित जाति सूची में इसका विलय खराब, अवैध और अस्थिर है। निर्णय के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैंः

> *"36. अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आई. डी. 1 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध, गलत था क्योंकि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूचियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता/अधिकार/शक्ति नहीं थी। प्रत्यर्थी का प्रस्तुत करना-यह बताना कि 01.07.2015 दिनांकित प्रस्ताव केवल स्पष्टीकरणात्मक था, एक पल के लिए भी विचार करने योग्य नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकृत होने योग्य है। चाहे वह अनुसूचित जातियों की सूचियों की प्रविष्टि-20 का पर्यायवाची हो या अभिन्न अंग हो, इसे संसद द्वारा कोई कानून बनाए बिना जोड़ा नहीं जा सकता था। राज्य अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास कोई अधिकार नहीं था और तदनुसार वर्ष 2011 में भारत संघ को अपना अनुरोध भेज दिया था। उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और आगे की टिप्पणियों/औचित्य/समीक्षा के लिए वापस कर दिया गया। उसी को नजरअंदाज करते हुए, राज्य ने दिनांकित 01.07.2015 परिपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़े। "तांती-तांतवा" को हटाने में राज्य को उचित ठहराया जा सकता है। राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर अति पिछड़े वर्गों की सूची से लेकिन इसके अलावा अनुसूचित जातियों की सूची की प्रविष्टि 20 के तहत 'तांती-तांतवा' को 'पान, सावसी, पानर' के साथ विलय करना किसी भी अच्छे, बुरे या उदासीन कारणों के लिए दुर्भावनापूर्ण अभ्यास से कम नहीं था, जो उस समय राज्य ने सोचा होगा।चाहे पर्यायवाची हो या न हो, जाति, नस्ल या जनजाति के भीतर किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या जाति, नस्ल या जनजाति के हिस्से या समूह का कोई भी समावेश या बहिष्कार संसद*

द्वारा बनाए गए कानून द्वारा होना चाहिए, न कि किसी अन्य तरीके या तरीके से।

37. यह निवेदन कि अति पिछड़े वर्गों के आयोग की सिफारिश राज्य के लिए बाध्यकारी थी, यहाँ निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि, भले ही हम निवेदन स्वीकार कर लें, ऐसी सिफारिश केवल अति पिछड़े वर्गों से संबंधित हो सकती है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में किसी भी जाति को शामिल करना या नहीं करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा। आयोग के पास किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संबंध में सिफारिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और भले ही वह ऐसी सिफारिश करे, सही या गलत, राज्य को इसे लागू करने के लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, जब वह पूरी तरह से जानता था कि संविधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 341 उपखंड 1 और उपखंड 2 के प्रावधान बहुत स्पष्ट और असतत हैं। इसमें जो उल्लेख किया गया है, उसके अलावा कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है, अन्यथा किसी भी व्याख्या की आवश्यकता है। बिहार राज्य ने किसी भी कारण से अपने हितों के अनुरूप कुछ पढ़ने की कोशिश की है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

38. उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लेख किए बिना पूरी तरह से गलत आधार पर उक्त अधिसूचना को बरकरार रखने में गंभीर त्रुटियां में पड़ गया।

9. जबकि वर्तमान मामला ई. बी. सी. सूची के बजाय तांती जाति को ओ. बी. सी. सूची से हटाने से संबंधित है, *भीम राव अम्बेडकर*(ऊपर) मामले में इस अदालत का निर्णय इस मुद्दे को शामिल करता है और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित वर्ग की सूची में जोड़ने की अधिसूचना अवैध और गैरकानूनी है। से प्रतिवादी अनुसूचित जाति श्रेणी के लाभों का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि तांती जाति के साथ अनुसूचित जाति का विलय *भीम राव अम्बेडकर* (ऊपर) के आलोक में कानून की दृष्टि से बुरा है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस मुद्दे पर तर्क भी नहीं दिया है।

10. हालाँकि, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना में अवैधता के बावजूद, *भीम राव अंबेडकर* (ऊपर) में इस न्यायालय ने उन लोगों की रक्षा की थी जो पदों पर कब्जा करने के लिए आए थे। सुविधा के लिए प्रासंगिक भाग को भी पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"39. अब "तांती-तांतवा" समुदाय के उन सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में सवाल आता है जिन्हें दिनांकित 01.07.2015 प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों का लाभ दिया गया था। वर्तमान मामले में, राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ पाई गई है। राज्य को उसके द्वारा की गई शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता है। सूचियों में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत एक गंभीर मुद्दा है। कोई भी व्यक्ति जो योग्य नहीं है और ऐसी सूची में शामिल नहीं है, यदि राज्य द्वारा जानबूझकर और शरारतपूर्ण कारणों से ऐसा लाभ दिया जाता है, तो अनुसूचित जाति के सदस्यों का लाभ नहीं लिया जा सकता है। इस तरह की नियुक्तियां कानून के तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अलग की जा सकेंगी। हालाँकि, जैसा कि हमने राज्य के आचरण में गलती पाई है और "तांती-तांतवा" समुदाय के किसी भी व्यक्तिगत सदस्य की नहीं, हम यह निर्देश नहीं देना चाहते हैं कि उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है या अवैध नियुक्तियों के लिए वसूली की जा सकती है या अन्य लाभों को वापस लिया जा सकता है जिन्हें बढ़ाया जा सकता है। हमारा विचार है कि अनुसूचित जाति आरक्षित कोटे के ऐसे सभी पद जिन्हें दिनांक 01.07.2015 के प्रस्ताव के बाद नियुक्त "तांती-तांतवा" समुदाय के सदस्यों को दिया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति कोटे में वापस कर दिया जाए और "तांती-तांतवा" समुदाय के ऐसे सभी सदस्य, जिन्हें इस तरह का लाभ दिया गया है, उन्हें उनकी मूल श्रेणी अति पिछड़े वर्गों के तहत समायोजित किया जा सकता है, जिसके लिए राज्य उचित उपाय कर सकता है।*
>
> *42. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति कोटे के ऐसे पद, जिन्हें "तांती-तांतवा" समुदाय के सदस्यों द्वारा दिनांकित*

01.07.2015 प्रस्ताव के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए भरा गया था, उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी में वापस किया जा सकता है और "तांती-तांतवा" समुदाय के ऐसे उम्मीदवारों को राज्य द्वारा उचित उपाय करके अत्यंत पिछड़े वर्गों की उनकी मूल श्रेणी में समायोजित किया जाए।

11. विद्वान वकील ने *के. निर्मला बनाम केनरा बैंक* 3 में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें अपीलकर्ताओं को राज्य सरकार की अधिसूचना के बावजूद सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में माना गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। *महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद

उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"35. ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलकर्ता कर्नाटक सरकार द्वारा 29 मार्च, 2003 को जारी किए गए सरकारी परिपत्र के आधार पर अपनी सेवाओं की सुरक्षा के हकदार हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त, 2005 को जारी संचार द्वारा अनुमोदित किया गया है।कर्नाटक सरकार द्वारा 29 मार्च, 2003 को जारी किए गए परिपत्र में विशेष रूप से विभिन्न जातियों को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें 11 मार्च, 2002 के पूर्ववर्ती सरकारी परिपत्र में शामिल नहीं किया गया था।इस बाद के परिपत्र में कोटेगारा, कोटेक्षत्रिया, कोटेयव, कोटेयार, रामक्षत्रिया, शेरूगारा और सर्वेगारा जैसी जातियों को शामिल किया गया, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि इन जातियों के व्यक्ति, जिनके पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हैं, वे भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में अपनी सेवाओं के संरक्षण का दावा करने के हकदार होंगे।इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2005 को जारी किए गए संचार ने संबंधित बैंक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच को मजबूत किया और उन्हें विभागीय और आपराधिक कार्रवाई से भी बचाया।

12. मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि *भीम राव अम्बेडकर* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण का दावा करने का मुद्दा कायम नहीं है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, यह प्रतिवादी का तर्क भी नहीं है कि उक्त निर्णय लागू नहीं होगा।

13. *भीम राव अम्बेडकर* (ऊपर) और *के. निर्मला* (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय एक अलग आधार पर खड़े हैं और उन्हें तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है। वे निर्णय जो लंबे समय से चली आ रही नियुक्तियों से संबंधित थे, कुछ समय तक जारी रहे, जिसके कारण न्यायालय ने न्यायसंगत विचारों पर महसूस किया कि वे अपीलार्थियों के रोजगार में बाधा नहीं डालेंगे। इस मामले में तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और निम्नलिखित स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

14. प्रतिवादी ओ. बी. सी. उम्मीदवार के रूप में दावा किए गए आरक्षण के आधार पर संघ की सेवा में था। केवल आई. डी. 2 पर ही राज्य सरकार ने तांती जाति को ओ. बी. सी. से अनुसूचित जाति में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की और सेवा रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन केवल 17.08.2018 को लाया गया। इस बीच, एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 07.10.2016 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, और प्रतिवादी ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था।

15. जब सरकार ने प्रतिवादी को इस पद पर नियुक्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, तो उसने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और एक मूल आवेदन दायर किया जिसे 01.04.2022 पर खारिज कर दिया गया। हालाँकि, प्रतिवादी की रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा केवल 19.01.2023 को ही अनुमति दी गई थी। हमें सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी को केवल 14.12.2023 को उक्त पदोन्नति पद पर नियुक्त किया गया था। यह मानते हुए भी कि प्रतिवादी को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में उसके अवैध वर्गीकरण का लाभ दिया गया था, उसे जो लाभ प्राप्त हुआ वह एक वर्ष से भी कम की छोटी अवधि के लिए था और वह भी इस अपील के लंबित रहने के दौरान। इसलिए, *भीम राव अम्बेडकर* या *के. निर्मला* (ऊपर) के मामले में उम्मीदवारों की तरह प्रतिवादी के

पक्ष में कोई समानता नहीं है। कानून की स्पष्ट स्थिति को देखते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समानता की कमी के साथ, हम अनुसूचित जाति के रूप में अवैध प्रमाणन के आधार पर प्रतिवादी को जारी रखने का निर्देश नहीं दे सकते।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपील की अनुमति देते हैं, 2022 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 12096 में उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले और आदेश को बहाल करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

मामले का परिणामःअपील स्वीकार किया गया।

*द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः*निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।